

 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)	 सत्यमेव जयते वेबसाइट : www.esic.nic.in / www.esic.in	क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार Regional Office, Bihar पंचदीप भवन, नेहरू मार्ग, पटना – 800001 PANCHDEEP BHAWAN, NEHRU MARG, PATNA – 800001 फोन: 0612-2533404 इ. मेल: rd-bihar@esic.nic.in
---	---	--

सं. 42-A-33/13/03/2022-Med.Admin

दिनांक 25-08-2025

कार्यालय आदेश सं. 57 वर्ष 2025 (चि.प्रशा.)

विभागीय पदोन्नति समिति की समीक्षा बैठक दिनांक 12.08.2025 में की गयी अनुशंसा के आधार पर बिहार क्षेत्र में तैनात निम्नलिखित CSR/CSSD Technician संवर्ग के कर्मचारी को Senior CSR/CSSD Technician पद पर सातवें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स, पे-लेवल-5 (रु 29200-92300) में नियमित पदोन्नति का आदेश दिया जाता है:-

On the basis of the recommendation of the Departmental Promotion Committee in its review meeting dated 12.08.2025, the following CSR/CSSD Technician cadre employee posted in Bihar region is ordered regular promotion to the post of Senior CSR/CSSD Technician in the Pay Matrix, Pay Level-5 (Rs. 29200-92300) of the 7th Pay Commission:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी स.	वर्तमान तैनाती	प्रोन्नत पद पर आदेशित तैनाती
1	श्री मृत्युंजय कुमार राकेश	114472	क.रा.बी.निगम, चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल, बिहटा, पटना	क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ, पटना

2. श्री मृत्युंजय कुमार राकेश की पदोन्नति, (यदि वे कार्यभार ग्रहण करते हैं) 27.12.2024 से नोशनल-रूप (Notionally) से प्रभावी होगी और वित्तीय लाभ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

Promotion of Shri Mrityunjay Kumar Rakesh, (if he assumes charge) will notionally take effect from 27.12.2024 and the actual monetary benefit shall be admissible from the date of assumption of charge.

3. यदि कर्मचारी नियमित प्रोन्नति स्वीकार नहीं करते हैं तो इसकी सूचना पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अंदर प्रशासन शाखा को भेजें। नियमित प्रोन्नति स्वीकार नहीं करने की स्थिति में पुनः उन्हें एक वर्ष तक इस पद पर नियमित प्रोन्नति नहीं दी जाएगी तथा नियमानुसार उनकी वरीयता की क्षति होगी।

If the employee does not accept regular promotion, then send its information to the administration branch within 07 days of receiving the letter. In case of not accepting regular promotion, he will not be given regular promotion to this post for one year and as per rules, his seniority will be lost.

4. वह इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर FR 22 (I)(a)(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु अपना विकल्प चुन सकते हैं।

He may exercise their option for pay fixation as per the provisions of FR 22 (I)(a)(1) within one month from the date of issue of this order.

5. नियमित प्रोन्नत पद पर योगदान की स्वीकृति/अस्वीकृति चिकित्सा प्रशासन शाखा को भेजी जाए।

Acceptance/rejection of joining to regular promoted post should be sent to the Medical Administration Branch.

6. यह पदोन्नति आदेश DoPT के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/11/2016-Estt (Res-I) (Pt-II) दिनांक 15/06/2018 के बिन्दु 05 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन शासित होंगे।

This order is governed by the final order/judgement of the Hon'ble Supreme Court of India as per point 05 of DoPT OM No. 36012/11/2016-Estt (Res-I) (Pt-II) dated 15/06/2018.

Digitally signed by
NIRANJAN KUMAR

Date: 25-08-2025

12:39:51

क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संबंधित कर्मचारी को उनके नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से।
2. क्षेत्रीय निदेशक के निजी सचिव/सहायक।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल, बिहटा, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. शाखा अधिकारी (सतर्कता), क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, पटना ।
6. शाखाधिकारी (ई.डी.पी/आई.टी), क्षेत्रीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम, पटना निगम की क्षेत्रीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. व्यक्तिगत संचिका/गार्ड फाइल।